परिशिष्ट–1

खान मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली शास्त्री भवन के पत्रांक–16/7/2015–एम0 VI (भाग) दिनांक 16.09.2015 द्वारा प्रकाशित प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की मार्गदर्शिका

प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, जिला खनिज फाउंडेशन को प्रोद्भूत निधि का उपयोग कर संबंधित जिलों के जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना स्कीम के समग्र उद्देश्य निम्नलिखित होगे:–

(क) खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक और कल्याण परियोजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना जो राज्य तथा केन्द्र सरकार के विद्यमान चालू स्कीमों/परियोजनाओं के पूरक होंगे;

(ख) खनन के दौरान तथा उसके पश्चात् खनन जिलों में लोगों के पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सामाजिक आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव को कम करना; और

(ग) खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालीन आजीविका सुनिश्चित करना।

1. **प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत आनेवाले प्रभावित क्षेत्रों और लोगों की पहचान**

(1) **प्रभावित क्षेत्र**

(क) **प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र**– जहाँ प्रत्यक्ष रूप से खनन संबंधित कार्य जैसे– उत्खनन, खनन, विष्फोटन, परिष्करण और अपशिष्ट निपटान (क्षमता से अधिक डंप, टेलिंग पौंड, परिवहन गलियारा आदि) अवस्थित हों।

क. ऐसे गाँव और ग्राम पंचायत जिसके अंतर्गत खान अवस्थित और चालू हों। ऐसे खनन क्षेत्र का विस्तार पड़ोसी गाँव, प्रखंड अथवा जिला अथवा राज्य तक भी हो सकेगा।

ख. खान और खानों के समूह के ऐसे घेरे जो राज्य सरकार द्वारा, इस बात का विचार किए बिना कि यह सम्बद्ध जिला अथवा निकटवर्ती जिला के अंतर्गत आता है, विनिर्दिष्ट किया जाय के अधीन कोई क्षेत्र।

ग. ऐसे गाँव जहाँ खान द्वारा विस्थापित परिवारों को परियोजना प्राधिकारों द्वारा पुनर्वासित किया गया हो।

घ. वैसे गाँव जो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खनन क्षेत्र पर विशेष रूप से निर्भर हों तथा परियोजनों क्षेत्रों पर भोगाधिकार और परम्परागत अधिकार रखते हों जैसे चराई, जंगल के लघु उत्पाद का संग्रह आदि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र समझना चाहिए।

(ख) **अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र**– वे क्षेत्र जहाँ स्थानीय आबादी खनन संबंधी कार्यों के कारण आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से प्रतिकूलतः प्रभावित हों। खनन का प्रमुख नकारात्मक प्रभाव खनन कार्य, खनिजों के परिवहन, विद्यमान आधारभूत संरचना एवं

संसाधनों पर बढ़ते बोझ के कारण जल, मिट्टी तथा वायु की गुणवत्ता में कमी, जलधारा के बहाव में कमी, भूगर्भ जल में कमी, संकुलन और प्रदूषण के रूप में हो सकता है।

(ग) जिला खनिज फाउंडेशन खनिज संबंधी कार्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों की अद्यतन सूची तैयार करेगा और संधारित करेगा।

(2) प्रभावित लोग–

क. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति में निम्नलिखित शामिल होगा :

(क) भू–अर्जन, पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार की धारा 3 (ग) के अधीन यथा परिभाषित

(ख) भू–अर्जन, पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार की धारा 3 (ट) के अधीन यथा परिभाषित

(ग) सम्बद्ध ग्राम सभा द्वारा समुचित रूप से पहचाना हुआ कोई अन्य

ख. खनन से प्रभावित व्यक्तियों के अंतर्गत वे व्यक्ति आयेंगे जिनका खोदी गयी भूमि पर कानूनी तथा उपजीविकाजन्य अधिकार हो तथा जिनका भोगाधिकार तथा परम्परागत अधिकार भी हो।

ग. प्रभावित परिवार की पहचान यथासंभव ग्राम सभा के स्थानीय/निर्वाचित प्रतिनिधियों के परामर्श से किया जाएगा।

घ. जिला खनिज फाउंडेशन ऐसे प्रभावित व्यक्तियों/स्थानीय समुदायों की अद्यतन सूची तैयार करेगा और उसे संधारित करेगा।

2. निधि की उपयोगिता

(1) प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की व्याप्ति

प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना निम्नलिखित सूचीबद्ध क्रियाकलापों को आच्छादित करेगा :

उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र–प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की कम–से–कम 60% निधि इन शीर्षों के अधीन उपयोग में लायी जायेंगी :

क. **पेयजल आपूर्ति** – केन्द्रीयकृत शुद्धिकरण प्रणाली, जल उपचार संयंत्र, स्थायी/अस्थायी जल वितरण नेटवर्क जिसमें पेयजल के लिए एक अकेली सुविधा शामिल है, पाइप द्वारा जलापूर्ति के लिए पाइप बिछाना।

ख. पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय, बहिःस्राव उपचार संयंत्र, क्षेत्र में जल धाराओं, झीलों, तालाबों, भूगर्भ जल, अन्य जल स्रोतों के प्रदूषण को रोकना, खनन कार्यों तथा क्षेपण भूमि (डंप) के कारण वायू और धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, खान जल निकास प्रणाली तथा खान प्रदूषण निवारण प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के अनुकूल दीर्घकालीन खान विकास के लिए चालू अथवा, परित्यक्त खान तथा अन्य वायु, जल एवं भूगर्भ प्रदूषण नियंत्रण तंत्र हेतु उपाय।

ग. **स्वास्थ्य देखभाल**– प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक/सहायक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा स्थापित करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल की आधारभूत संरचना स्थापित करने पर ही केवल जोर नहीं होना चाहिए बल्कि ऐसी सुविधाओं को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक कर्मीगण एवं उपकरण की अपेक्षित आपूर्ति पर भी जोर होना चाहिए। इसके लिए स्थानीय निकाय, राज्य और केन्द्र सरकार की मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल आधारभूत संरचना को मिलकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। खनन से संबंधित बीमारी और रोग की देखभाल के लिए आवश्यक विशेष आधारभूत संरचना डिजाइन करने के लिए राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान में उपलब्ध सुविज्ञता पर भी ध्यान दिया जा सकता है। खनन प्रभावित व्यक्तियों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए समूह बीमा योजना को कार्यान्वित किया जा सकता है।

घ. शिक्षा– विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कला एवं शिल्प कक्ष, प्रसाधन ब्लॉक का निर्माण, पेयजल का प्रावधान, दूरदराज क्षेत्रों में विद्यार्थियों/शिक्षकों के लिए आवासीय छात्रावास, खेल की आधारभूत संरचना, शिक्षक/अन्य सहयोगी स्टाफ की भागीदारी, ई–शिक्षण का स्थापन, परिवहन सुविधाओं (बस/भान/साइकिल/रिक्शा/आदि) की अन्य व्यवस्था तथा पोषण संबंधी कार्यक्रम।

ङ. महिलाओं और बच्चों का कल्याण– प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अधीन माँ और बच्चों के स्वास्थ्य, कुपोषण, संक्रामक बीमारी आदि समस्याओं के समाधान के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जा सकता है।

च. वृद्ध और अशक्त लोगों का कल्याण–वृद्ध और अशक्त लोगों के कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम।

छ. कौशल विकास– स्थानीय योग्य व्यक्तियों के लिए आजीविका मदद, आय उत्पत्ति और आर्थिक क्रियाकलापों हेतु कौशल विकास। इन परियोजनाओं/स्कीमों में प्रशिक्षण, कौशल विकास केन्द्र का उन्नयन, स्वनियोजन स्कीम, स्वयं सहायता समूह की मदद तथा ऐसे स्वनियोजन आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अग्र और पश्च संबंध का प्रावधान शामिल हो सकते हैं।

ज. स्वच्छता– अपशिष्ट का संग्रहण, परिवहन एवं निपटान, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, समुचित जल निकास एवं मल उपचार संयंत्र का प्रावधान, मल मूत्र पंक के निपटान का प्रावधान, प्रसाधन और अन्य संबंधित क्रियाकलाप का प्रावधान।

प्राथमिकता वाले अन्य क्षेत्र– इस शीर्ष के अन्तर्गत प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का 40% तक का उपयोग किया जाएगा।

क. **भौतिक आधारभूत संरचना**– अपेक्षित भौतिक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना– सड़क, पुल, रेल और जलमार्ग परियोजनाएँ।

ख. सिंचाई– सिंचाई के वैकल्पिक स्रोतों का विकास, समुचित और उन्नत सिंचाई तकनीक का अंगीकरण।

ग. ऊर्जा और जलछाजन विकास– ऊर्जा (माइक्रो हाइडल सहित) के वैकल्पिक स्रोत और वर्षा जल हार्वेस्टिंग प्रणाली। फलोद्यान, समेकित कृषि और आर्थिक वानिकी और आवाह क्षेत्र का पुनर्स्थापन।

घ. खनन जिला में पर्यावरणीय गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कोई अन्य उपाय।

(2) सामान्य मार्गदर्शिका

क. प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अधीन विकास और कल्याण गतिविधियों को यथासंभव राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा निधिबद्ध चालू स्कीमों/परियोजनाओं के पूरक के रूप में लेना चाहिए। 'प्रदूषक द्वारा अदायगी के सिद्धांत' के अधीन आशयित गतिविधियों को प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अधीन नहीं लेना चाहिए। तथापि फाउंडेशन की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य और जिला योजनाओं को मिलाने का प्रयास करना चाहिए ताकि फाउंडेशन द्वारा प्रारंभ की जाने वाली गतिविधियाँ, विकास तथा कल्याण गतिविधियों की पूरक हो तथा राज्य योजना के लिए इसे अतिरिक्त बजटीय संसाधन मानी जाय।

ख. राज्य सरकार द्वारा नियत ऊपरी सीमा के अध्यधीन फाउंडेशन की वार्षिक प्राप्ति की 5% से अनधिक राशि फाउंडेशन की प्रशासनिक, पर्यवेक्षी तथा ऊपरी लागत के उपयोग में लायी जाएगी। यथासंभव प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अधीन कोई अस्थायी/स्थायी पद सृजित नहीं की जानी चाहिए। स्थायी/अस्थायी पदों के सृजन तथा फाउंडेशन द्वारा वाहन के क्रय के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा। तथापि न्यूनतम अपेक्षित स्टाफ संविदात्मक आधार पर रखे जा सकते हैं।

ग. यदि किसी जिला का खनन से प्रभावित क्षेत्र अन्य किसी जिला की अधिकारिता में आता है तो फाउंडेशन द्वारा खान से संगृहीत राशि का ऐसा प्रतिशत, जो सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाय, अन्य सम्बद्ध जिला के फाउंडेशन में ऐसे क्षेत्रों में गतिविधियों को संचालित करने के लिए अंतरित कर दिया जाएगा। ऐसी परियोजना जो प्रभावित क्षेत्र/लोगों के लाभ के लिए है किन्तु जिला की भौगोलिक सीमा से बाहर फैला है राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अधीन प्रारंभ की जानी चाहिए। सड़क, पुल आदि के निर्माण जैसी सामान्य आधारभूत संरचना के विकास की परियोजनाएँ जो निधि के उपयोग के लिए प्राथमिकता के विषय में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हैं अलग–अलग मामला के आधार पर जिला के महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए भी लिया जा सकेगा। निधि के उपयोग की सीमा से अधिक कार्यों को प्रारंभ करने के पूर्व राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।